

10—तदर्थ बोनस, विशेष वेतन, दैनिक वेतनभोगी की दरें

क्रमांक	विषय	शासनादेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	तदर्थ बोनस: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2010–2011 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।	स0:–231 / xxvii(7)बोनस / 2011 दिनांक: 18 अक्टूबर, 2011	171–174
2	राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को माह अक्टूबर, 2011 के वेतन का भुगतान दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के स्थान पर 24 अक्टूबर, 2011 को भुगतान किया जाना।	स0:–236 / xxvii(7) / 2011 दिनांक: 20 अक्टूबर, 2011	175–176

प्रेषक,

हेमलता ढौड़ियाल,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0) अनु—7

देहरादून, दिनांक: 10 अक्टूबर, 2011

विषय: तदर्थ बोनस:-राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2010—2011 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पठित निम्नलिखित :-

1— शासनादेश संख्या—724 / XXVII(7)बोनस/2010, दिनांक 15 अक्टूबर, 2010।

2— भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या: 7 / 24 / 2007 / ई—II(ए) दिनांक 13 सितम्बर, 2011।

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल तथा दैनिकभोगी कर्मचारियों की वर्ष 2010—2011 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2— भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या—2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 सितम्बर, 2011 द्वारा वर्ष 2010—2011 के लिए 30 दिन की परिलक्षियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3— उपर्युक्त क्रम संख्या—1—2 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके पुनरीक्षित वेतनमान में ₹4800 ग्रेड पे जिसका अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम ₹13,500 तक है को वर्ष 2010—2011 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलक्षियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। इस प्रायोजन के लिए दिनांक 31 मार्च 2011 को ग्राह्य परिलक्षियां तदर्थ बोनस के रूप में ₹3454 होगी ($\text{₹}3500 \times 30 / 30.4 = ₹3453.95$ को सुगमांकित कर ₹3454.00)। उक्त शासनादेश के अनुसार किये जाने वाले समस्त भुगतान रूपये के निकटतम में सुगमांकित कर किये जाएंगे। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(i) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों,जिनके पुनरीक्षित वेतनमान में ₹4800 का घ्रेड वेतन अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम ₹13,500/- तक है, को ही अनुमन्य होगा। वेतनमान ₹4800 घ्रेड वेतन का अपुनरीक्षित वेतनमान ₹7500-12000 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें समयमान वेतनमान के रूप में उच्च वेतनमान अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्रारिथिति (स्टेट्स) में परिवर्तन नहीं हुआ है,को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01-01-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में बने रहने के लिए विकल्प दिये हों, के संबंध में पद के वेतनमान का अधिकतम ₹3500/- तक माना जायेगा। परन्तु ₹4800 के घ्रेड वेतन में अपुनरीक्षित वेतनमान ₹7500-12500 या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) इन आदेशों के अन्तर्गत केवल वही अराजपत्रित कर्मचारी बोनस सुविधा हेतु पात्र होंगे, जो दिनांक: 31 मार्च,2011 को राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2010-2011 की अवधि के दौरान न्यूनतम छः माह की लगातार सेवा पूर्ण की हो । वर्ष के दौरान न्यूनतम छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जायेगी ।

(iii) तदर्थ बोनस की अधिकतम व्यय धनराशि ₹3500/- प्रतिमाह की परिलक्षियों पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात् जिन कर्मचारियों की परिलक्षियों ₹3500/- से अधिक थी उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलक्षियों ₹3500/- प्रतिमाह हैं।

(iv) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलक्षियों का तात्पर्य मूल वेतन,वैयक्तिक वेतन,विशेष वेतन जैसा कि कमशः मूल नियम 9(21)(1),9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है,प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01-01-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो,अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक 01-01-1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के लिए शासनादेश संख्या-वे-आ-1-2043 / दस-93-39(एम) / 93,दिनांक 14 अक्टूबर,1993 तक तथा शासनादेश संख्या-वे-आ-1-624 / दस-39(एम) / 93 टी०सी०,दिनांक 16 अगस्त,1995 के अनुसार अंतरिम सहायता कमशः ₹100/-प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम ₹100/-प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलक्षियों में जोड़ी जायेगी।

(v)मकान किराया भत्ता,नगर प्रतिकर भत्ता,पर्वतीय विकास भत्ता,परियोजना भत्ता,विशेष भत्ता,शिक्षा भत्ता आदि को परिलक्षियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या-वे-आ-1-774 / दस-39(एम) / 93 टी०सी०,दिनांक 27 सितम्बर,1996 द्वारा स्वीकृत "अंतरिम सहायता" की धनराशि को भी परिलक्षियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(vi)ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध वर्ष 2010-2011 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो,जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद वर्ष 2010-2011 में कोई दण्ड दिया गया हो,उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(vii)इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

4— कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 31 मार्च,2011 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च,2011 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्यरत रहे हो,यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी के लिए मासिक परिलक्षियां ₹1200 प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि ₹1200 X 30 / 30.4=1184.21 अर्थात् ₹1184/- (पूर्णांकित) होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलक्षियाँ ₹1200 प्रतिमाह से कम हैं उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलक्षियों के आधार पर आंकित की जायेगी।

5— अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद में किया जायेगा।

6— बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या-वे०आ०-१-१२० / दस-१(एम) / 84, दिनांक 18 जनवरी,1984 के प्रस्तार-1(7),5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे।

7— उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय-व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अंतर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीपः

(हमलता ढौड़ियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या:२३।(१)/XXVII(७)बोनस/2011 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ((वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),कमरा नं-261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली-110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. निबन्धक,उच्च न्यायालय,नैनीताल।
8. रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीशनर,कानपुर /देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक,कोषागार सिविल कार्यालय,नवीन कोषागार भवन(प्रथम तल) कचहरी रोड,इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चैक।
10. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
11. स्थानीय आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
12. पुनर्गठन आयुक्त,उत्तराखण्ड,विकास भवन,सचिवालय परिसर लखनऊ,उ०प्र०।
13. वित्त अधिकारी,उत्तराखण्ड सचिवालय,देहरादून।
14. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
15. उपनिदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियाँ मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना चाहें।
16. निजी सचिव,मा० मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड।
17. निदेशक,एन०आई०सी०,देहरादून।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शारद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव।

प्रेषक,

संख्या: 236/xxvii(7)/2011

हेमलता ढौड़ियाल,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें:

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07


देहरादून: दिनांक: 20 अक्टूबर, 2011

विषय:- राज्य सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों को माह अक्टूबर, 2011 के वेतन का भुगतान दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के स्थान पर 24 अक्टूबर, 2011 को भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में सूच्य है कि राज्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान माह के अंतिम दिवस को किया जाता है। माह अक्टूबर, 2011 में 25 अक्टूबर, 2011 से 28 अक्टूबर, 2011 तक कमशः धनतेरस, दीपावली तथा भइयादूज के त्यौहार आ रहे हैं। उसके बाद अंतिम कार्यदिवसों में भी अवकाश पड़ रहे हैं।


अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह अक्टूबर, 2011 के अंतिम दिवसों में आ का भुगतान दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के स्थान पर दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 को भुगतान किये जाने की कि वे उक्त तिथि तक राज्य कर्मचारियों के वेतन के देयक कोषागार में जमा करते हुए समय से वेतन का भुगतान सुनिश्चित करायें।

भवदीप

(हेमलता ढौड़ियाल)
सचिव, वित्त

संख्या : (1)/XXVII(7)/2011 तददिनांक
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
7. पुर्नगढ़न आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त आडीट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।